# न्यायालय सहायक कलक्टर (S D O) पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
# पीठासीन अधिकारी, रिछपाल सिंह बुरड़क R.A.S.

राजस्व मूलवाद संख्या –35 / 2013

वादी :–

हिन्दूराम पुत्र श्रो उम्मेदराम
जाति जाट निवासी मल्लार,
तहसील पीपाड़ शहर जिला
जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. पूनाराम पुत्र श्री किरताराम
2. दयाराम पुत्र श्री किरताराम
3. धर्माराम पुत्र श्री किरताराम
4. जबराराम पुत्र श्री किरताराम

सभी जातियान जाट,
निवासीगण ग्राम मल्लार,
तहसील पीपाड़ शहर जिला
जोधपुर

## राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट

उपस्थित अधिवक्ता :
1 श्री मंसूर अली छीपा अधिवक्ता वादी की ओर से
2 श्री ओमप्रकाश कच्छावाह प्रतिवादीगण की ओर से

## निर्णय

दिनांक : 23.10.2017

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र में अंकन किया है कि वादी की खातेदारी कब्जे व काश्त की कृषि भूमि ख.न. 127 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा ख.न. 137 रकबा 34 बीघा 7 बिस्वा गाम मलार की राजस्व सीमा में आई हुई है जिस पर ग्रामीण बैंक सालवाखुर्द से ऋण भी ले रखा है। प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नही है तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है। वादी ने वादग्रस्त आराजी को उपजाउ बनाया है व प्रतिवादीगण बदमाश प्रवृती के व्यक्ति है जो वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करने व वादग्रस्त आराजो पर कब्जा करने की फिराक में हैं। दिनांक 30.06.2011 को वादग्रस्त आराजी में सूड़ कर रहा था, जिस पर प्रतिवादीगण ने कृषि कार्य करने में बाधा डालते हुए वादी को बेखल करने की धमकिया दी, जिस पर वादकारण उत्पन्न होना बताते हुए व वाद को इस न्यायालय को सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार होना अंकित करते हुए वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में दलखअंदाजी नही करे, इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित किये जाने का अनुतोष चाहा।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर बाद तामील नोटिस अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश कच्छावाह ने प्रतिवादीगण की ओर से वकालातनामा व जवाब पेश किया हैं। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में बताया कि वादग्रस्त आराजी को लेकर वादी ने मनगढत व झुठा दावा पेश किया हैं। वादग्रस्त आराजी वादी की अकेले निजी स्वामित्व की खातेदारी की नही है तथा ख.न. 127 व 137 के साथ अन्य खसरान की भूमियां भी शामिल रूप से उम्मेदराम, घेवरराम, हरजीराम के नाम से कुल 242 बीघा खरीद की हुई है व ख.न. 127 में घेवरराम व उनके वारिसान का कब्जा काश्त होने का कथन अंकित किया व ख.न. 137 में से 12 बीघा 9 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादी सख्या 1 का कब्जा काश्त होने का अंकन किया तथा पच्चास वर्षो पूर्व हुए पारिवारिक बंटवाड़े में ख.न. 127 व 137 का बंटवाड़ा होना अंकन करते हुए वादी का केवल ख.न. 137 में 21 बीघा 18 बिस्वा में कब्जा काश्त होना बताया। प्रतिवादीगण ने मुख्य रूप से अंकन किया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की आय से खरीद कर वादी के पिता के नाम से रजिस्ट्री करवा दी गयी लेकिन वादग्रस्त आराजी में उम्मेदराम, घेवरराम व हरजीराम तीनों का हक हिस्सा है व पच्चास वर्षो पूर्व बंटवाड़ा हो चुका है जिसमें ख.न. 127 घेवरराम के बंट व ख.न. 137 में 12 बीघा 9 बिस्वा पूनाराम के बंट में रखी गयी है जिस पर प्रतिवादीगण काबिज काश्त है, टांके बने हुए है, बाड़ा बना हुआ है व वादी द्वारा पेश दावे को नकारते हुए खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा।

प्रतिवादीगण का जवाब प्राप्त होने के पश्चात तनकीयात कायत की गयी जो निम्नानुसार हैः–

तनकी संख्या 1:– वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम मलार में खसरा नम्बर 127, रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 137 रकबा 34 बीघा 7 बिस्वा कब्जा काश्तसुदा स्थित हैं जिसमें प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखंलदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे व वादी को बेदखल नही करें ।

(जिम्मे – वादी)

तनकी संख्या 2:– आया खर्चा वाद वादी प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।

(जिम्मे – वादी)

3.

तनकी संख्या 3:– आया प्रतिवादीगण व घेवरराम पिता किरताराम वादग्रस्त आराजी में काबिज काश्त हैं जो उन्हे पारिवारीक बंटवाड़ा में प्राप्त हुई हैं इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहींहैं ।

(जिम्मे –प्रतिवादीगण)

तनकी संख्या 4:– अन्य अनुतोष ?

(जिम्मे – वादी)

वादी द्वारा अपनी साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पेश किए जिसमें जमाबन्दी □□□ 1, गिरदावरी □□□ 2, ट्रेस नक्शा □□□ 3 है व वादी द्वारा अपनी साक्ष्य में स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रतिवादी द्वारा अपनी साक्ष्य के रूप मे दस्तावेज पेश किए जिनमें इकरारनामा व राजीनाम की फोटोप्रति □□□-1□ प्रस्तुत की तथा साक्ष्य के रूप में □□-1 दयाराम, □□-2 मोहनराम, □□-3 जयराम के बयान कलमबद्ध कराये।

वकुलाय अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुए मुख्यरूप से बताया कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 127 व 137 वादी के पिता की स्वअर्जित सम्पति है जो उनके देहान्त के बाद वादी ने नाम दर्ज है व प्रतिवादी के गवाहों ने स्वीकार किया है कि वादग्रस्त आराजी 60 वर्षो पूर्व वादी के पिता के नाम उनके जन्म से पूर्व खरीदी है वादी रेकार्डेड खातेदार है। 60 वर्षो से वादी के व उसके पिता के नाम से रेवेन्यु रेकर्ड में दर्ज है व विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा चाही। वकील प्रतिवादीगण अपने जवाब में अंकित कथनों को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवार की आय से खरीदशुदा है जो केवल वादी के पिता के नाम से रजिस्ट्री करवाई थी तथा ख.न. 127 घेवरराम को बंट में दिया व ख.न. 137 में 12 बीघा 9 बिस्वा पर पूनाराम का कब्जा होना बताया तथा प्रकरण संख्या 22/2015 इसी न्यायालय में खातेदारी घोषणा का काउन्टर दावा पेश कर देने से उक्त वाद की पोषणीयता नही होना बताते हुए व वादी का कब्जा काश्त नही होना बताते हुए वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया।

सम्पूर्ण पत्रावली का विवेचन करने के बाद उक्त वाद का तनकीवार निर्णय किया जाना उचित होने से तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैः—

तनकी संख्या 1:— वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं कि वादी की खातेदारी कृषि भूमि राजस्व ग्राम मलार में खसरा नम्बर 127, रकबा 15 बीघा 2

4.

बिस्वा, खसरा नम्बर 137 रकबा 34 बीघा 7 बिस्वा कब्जा काश्तसुदा स्थित हैं जिसमें प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखंलदाजी न तो स्वयं करे न किसी अन्य से करावे व वादी को बेदखल नही करें ।

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर था कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 127 व 137 वादी की कब्जा काश्तशुदा खातेदारी की है व वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी ने उक्त तनकी को साबित करने के लिए राजस्व रेकर्ड की जमाबन्दी □□□ 1, गिरदावरी □□□ 2, ट्रेस नक्शा □□□ 3 पेश किया व स्वंय को गवाह के रूप में पेश किया। राजस्व रेकर्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी के नाम से खातेदार के रूप में इन्द्राज है तथा स्वंय प्रतिवादी गवाह दयाराम □□-1 ने जिरह में बताया कि वादग्रस्त आराजी वादी के पिता के नाम से शुरू से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है व वादी के पिता के नाम से 60 वर्षो पूर्व खरीद की थी व खरीदने की बात सुनी सुनाई होने से कह रहा हूं व वर्तमान में वादी के नाम से वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने की स्वीकारोक्ति की। प्रतिवादी गवाह मोहनराम □□-2 ने भी अपने बयानों में बताया कि वादग्रस्त आराजी 60 वर्षो पूर्व खरीदकर हुआ था व जयराम □□-3 ने भी वादग्रस्त आराजी शुरू से ही वादी के पिता के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने व वर्तमान में वादी के नाम से दर्ज होने का कथन किया है। गवाहों के बयानों एवं राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.न. 127 व 137 वादी के पिता के नाम खरीदशुदा थी जो उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई व तत्पश्चात वादी के नाम दर्ज हुई जो वर्तमान में दर्ज हुई जो वर्तमान मे दर्ज है। स्वंय प्रतिवादीगण ने अपनी गवाह के जिरह में बताया कि उनक जन्म से पूर्व ही वादी के पिता ने खरीद की थी। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त आराजी वादी की खातेदारी की कब्जा काश्त की भूमि नही है ऐसा कोई प्रमाण प्रतिवादीगण ने पेश नही किया है। वादी वादग्रस्त आराजी का राजस्व रेकर्ड के अनुसार खातेदार है व वादग्रस्त आराजी 60 वर्षो से वादी के पिता

व वादी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ऐसी स्थिति में वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का भी अधिकारी है। इसलिए यह तनकी वादी अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है जो यह तनकी वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण क विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 व 4 का निर्णय एक साथ किया जाएगा।

तनकी संख्या 3:– आया प्रतिवादीगण व घेवरराम पिता किरताराम वादग्रस्त

5.

आराजी में काबिज काश्त हैं जो उन्हे पारिवारीक बंटवाड़ा में प्राप्त हुई हैं इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं ।

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने उक्त तनकी को अपने पक्ष में साबित करने के लिए दस्तावेज □□□-1□ नोटेरीशुदा नही है। पर्याप्त स्टाम्प शुल्क पर निष्पादित भी नही है। अनरजिर्स्ट्रड दस्तावेज पर लिखित किसी भी इकरार को या बंटवाड़ा को उससे वर्णित इबारतो अनुसार घोषणा को वाद केवल सिविल न्यायालय में ही पोषणिय है व साक्ष्य में ऐसे अनरजिर्स्ट्रड दस्तावेजों के आधार पर किसी भी खातेदारी अधिकारों को प्रभावित नही किया जा सकता है। गवाह के रूप में प्रतिवादीगण ने □□-1 दयाराम को पेश किया जिसमें मुख्य रूप से बताया कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त परिवाद की आज से खरीद की है जो 60 वर्षो पूर्व खरीद की है जबकि गवाह अपनी उम्र 50 वर्ष बता रहा है। जिससे स्पष्ट है कि गवाह के जन्म से पूर्व वादग्रस्त भूमि खरीद की गई व गवाह सुने हुए आधारों पर बयान दे रहा है। □□-2 मोहनराम ने भी अपने बयानों में स्पष्ट बताया कि वादग्रस्त आराजी शुरू से ही वादी के पिता के नाम से दर्ज थी व उस समय उसका जन्म नही हुआ था। □□-3 जयराम ने भी बयानों में बताया कि वादग्रस्त आराजी वादी के पिता नाम से दर्ज थी व उनकी मृत्यु के बाद वादी के नाम से दर्ज हुई है। तीनों गवाहों ने मुख्यरूप से बताया कि वादग्रस्त आराजी वादी के पिता के नाम से दर्ज थी जो उनकी मृत्यु के बाद वादी के नाम दर्ज है तथा खरीदी गई भूमि है जो उनके जन्म से पहले खरीदी है। ऐसी स्थिति में केवल अनरजिर्स्ट्रड बंटवाड़ा लिखत के आधार पर शुरू से दर्ज खातेदारी को प्रभावित नही किया जा सकता। प्रतिवादीगण के मात्र अपना कब्जा काश्त कह देने से उनका कब्जा नही माना जा सकता। धारा 140 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 के अनुसार खातेदार का ही कब्जा माना जावेगा। उक्त तनकी

प्रतिवादीगण द्वारा अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2:— आया खर्चा वाद वादी प्रतिवादीगण से प्राप्त करने का अधिकारी हैं ।

तनकी संख्या 2 को साबित करने का भार वादी पर था जिसके लिए सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश दावे में प्रतिवादीगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा पेश की गयी है व किसी प्रकरण में प्रतिरक्षा



का अधिकार सभी को है, इसलिए वाद खर्चा वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वहन करेगें तद्नुसार तनकी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4:— अन्य अनुतोष ?

तनकी संख्या 4 में अनुतोष का अंकन है। वादी द्वारा तनकी संख्या 1 अपने पक्ष में साबित की जा चुकी है व प्रतिवादीगण के जिम्मे तनकी संख्या 3 उनके विरूद्ध निर्णित की जा चुकी है तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व गवाहों के बयानात के पश्चात तनकीवार विवेचन के पश्चात वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है व वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री पाने का भी अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी नही करें।

## आदेश

अतः वादी का वाद स्वीाकार किया जाकर डिको किया जाता है कि ग्राम मलार की राजस्व सीमा में स्थित कृषि भूमि ख.न. 127 रकबा 15 बीघा 2 बिस्वा व ख.न. 137 रकबा 34 बीघा 7 बिस्वा में प्रतिवादीगण वादी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअदांजी न तो स्वंय करें न किसी अन्य से करावें। उक्त निर्णय राजस्व प्रकरण संख्या 22/2015 जो न्यायालय हाजा में जैरकार पर नही पड़ेगा। न्यायालय राजस्व प्रकरण संख्या 22/2015 में स्वविवेकानुसार निर्णय पारित करने के लिए स्वतन्त्र रहेगा। इस आशय की डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रिछपालसिंह बुरड़क)
सहायक कलक्टर (SDO)

पीपाड़ शहर

आदेश आज दिनांक 23.10.2017 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(रिछपालसिंह बुरड़क)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर